



<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 91/2024 जीसीएमएस : 2024/196 तारा सिंह बनाम सरकार एवं निर्मल कौर प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू राजस्व अधि.</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये</p>
<p>20.03.2025</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार भू.अ. श्रीविजयनगर के पत्रांक/भू.अ./2025/686 दिनांक 20.02.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। शामिल पत्रावली रहे। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रिकार्ड में दुरुस्ती करने के आदेश तहसीलदार श्रीविजयनगर को देने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किय गया है कि प्रार्थी के नाम से चक 34 जीबी मु.नं. 61 प.नं. 185/424 कि.नं. 11/2,12/1,13/2 की भूमि है तथा अप्रार्थी निर्मल कौर के नाम से 12/2, 13/3, 18, 19 की भूमि दर्ज है। प्रार्थी के कब्जा में कि.नं. 12/1/0.140 है। वह उत्तरी पासा है एवं निर्मल कौर का दक्षिणी पासा 0.113 है। पर कब्जा है और ढाणी बनाकर निवास कर रही है। प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य कब्जा को लेकर कोई विवाद नहीं है। राजस्व रिकार्ड में सेग्रिगेशन के दौरान कि.नं. 12 की तरमीम मौका कब्जा के अनुसार न होकर दक्षिणी भाग 12/1 दर्शाते हुए प्रार्थी का कब्जा दर्शित किया गया तथा उत्तरी पासा को 12/2 दर्शाते हुए निर्मल कौर का कब्जा दर्शित कर दिया गया है। वर्तमान कि.नं. 12 का दक्षिणी भाग कि.नं. 12/1 का 0.140 है। के रूप में तारासिंह के नाम से व उत्तरी भाग कि.नं. 12/2 का 0.113 है। के रूप में निर्मल कौर के नाम से दर्ज है को दुरुस्त करते हुए कि.नं. 12 का उत्तरी भाग 0.140 है। प्रार्थी तारा सिंह व दक्षिणी भाग 0.113 है। प्रार्थी निर्मल कौर के नाम से दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वादित अनुतोष स्वीकार किया जावे तरमीम को दुरुस्त करने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार श्रीविजयनगर से जांच रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार श्रीविजयनगर से प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा तरमीम दुरुस्ती करने की अनुशंषा की गयी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी तारासिंह व अप्रार्थी निर्मल कौर की सहमति एवं तहसीलदार श्रीविजयनगर की अनुशंषा के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 34 जीबी मु.नं. 61 प.नं. 185/424 कि. नं. 12 की वर्तमान स्थिति/तरमीम दक्षिणी भाग कि.नं. 12/1 का 0.140 है। तारासिंह एवं उत्तरी भाग कि.नं. 12/2 का 0.113 है। निर्मल कौर को दुरुस्त करते हुए कि.नं. 12 का उत्तरी भाग 0.140 है। प्रार्थी तारा सिंह व दक्षिणी भाग 0.113 है। अप्रार्थी निर्मल कौर के नाम से दर्ज किये जाने एवं इसी अनुसार नक्शा में तरमीम किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फँसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">  शकुन्तला उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर </p>	<p style="text-align: right;">  </p>

